गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)
केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर – 495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752-260342 फैक्स : 07752-260154
वेबसाइट : www.ggu.ac.in

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)
A Central University established by the Central Universities Act, 2009
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone 07752-260342, FAX : 07752-260154
Website : www.ggu.ac.in

क्र. 307 / अकादमी. / 2019, बिलासपुर, दिनॉक 04.11.2019

अधिसूचना

सभी संबंधितों को सूचना के लिये अधिसूचित किया जाता है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का पच्चीसवां) की धारा 27 (3) के तहत गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होने के नाते प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिनियम 10 (5), जो कि सभा के गठन से संबंधित हैं, में संशोधन हेतु अपनी सहमति प्रदान की है, जिसके बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने अपने पत्र संख्या एफ. 49–7 / 2016–सीयू–I(पार्ट) दिनांक 03.10.2019, द्वारा सूचित किया है।

परिनियम 10(5) में संशोधन

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
(5) सभा के अधिवेशन के लिये गणपूर्ति सभा के ग्यारह सदस्यों से होगी।	(5)(1)अधिवेशन के लिये गणपूर्ति सभा के कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों से होगी। (5)(2) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा;
	पदेन सदस्य
	(1) कुलाधिपति
	(2) कुलपति
	(3) प्रति–कुलपति
	(4) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष
	(5) छात्र कल्याण का अधिष्ठाता
	(6) वित्ताधिकारी
	(7) परीक्षा नियंत्रक
	(8) कुलानुशासक
	(9) ग्रंथपाल
	(10) कुलसचिव –सदस्य सचिव
	विद्यापीठों और विभागों के प्रतिनिधि
	(11) चार आचार्य, जो विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष न हों, को कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा
	(12) विभागों के तीन विभागाध्यक्ष, जो संकायाध्यक्ष या आचार्य नहीं हैं, को कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा
	(13) दो सह आचार्य, जो संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष नहीं हैं, और दो सहायक आचार्य, को कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा
	विद्वत व्यक्तित्व के प्रतिनिधि
	(14) कुलपतियों या प्रख्यात व्यक्तित्वों में से छह प्रतिनिधि, कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा
	विद्वत वृत्तियों एवं विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति
	(15) विद्वत वृत्तियों एवं विशेष हितों, उद्योग, वाणिज्य, बैंकिंग तथा कृषि को समाहित करते हुये, का प्रतिनिधित्व करने वाले छः सदस्य कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेगे

	अन्य सदस्य
	(16) कुलाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्टों को छोड़कर कार्य परिषद् के ऐसे सदस्य, जो उपरोक्त किसी भी श्रेणी के अंतर्गत सभा के सदस्य नहीं हैं
	(17) शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों, के चार प्रतिनिधि, जिसमें से एक शैक्षणिक कर्मचारी एवं गैरशैक्षणिक कर्मचारियों समूह अ, ब तथा स वर्ग, में से प्रत्येक वर्ग से एक प्रतिनिधि जो अपने में से निर्वाचित किये गये हो
	(18) छात्र परिषद के निर्वाचित सदस्य के रुप में उनके अध्यक्ष एवं सचिव, एक वर्ष की अवधि के लिये
	(19) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन पूर्व छात्र
	(5) (3) सभा के सभी सदस्य, पदेन सदस्यों और छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के अलावा, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे

आदेशानुसार

(प्रो0 शैलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ.क्र. 308 / अकादमी. / 2019,   बिलासपुर, दिनॉक 04.11.2019

प्रतिलिपि :–

1. कुलपति महोदया के सचिव / निज सहायक की ओर माननीया कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
2. उप–सचिव, (CU.I/II), उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों / विभागीय अधिकारियों, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ।
4. समनवयक, आई.टी.प्रकोष्ठ, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु प्रस्तुत।
5. कार्यालय प्रति।

(प्रो0 शैलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव (कार्यवाहक)

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)
केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर – 495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752-260342 फैक्स : 07752-260154
वेबसाइट : www.ggu.ac.in

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)
A Central University established by the Central Universities Act, 2009
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone 07752-260342, FAX : 07752-260154
Website : www.ggu.ac.in

S.No. 307 / Academic/2019

Bilaspur, Date 04.11.2019

NOTIFICATION

This is to notify for the information of all concerned that Hon'ble President of India in his capacity as the Visitor of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, in exercise of powers conferred upon him by the provisions given in Section 27(3) of the Central Universities Act, 2009 [No. 25 of 2009], has been pleased to approve the proposed ammendments in the Statute 10(5) of the Act relating to the constitution of the Court of the Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, as conveyed by the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development vide letter F.49-7/2016-CU.I (Part) Dated 03.10.2019.

Amendments in Statute 10 (5)

Existing Provisions	Amended Provisions
(5) Eleven members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court.	(5) (i) One third of the total members of the Court shall form a.quorum for the meeting. (5) (ii) The Court shall consist of the following members, namely
	Ex-officio Members
	(1) Chancellor
	(2) Vice-Chancellor
	(3) Pro- Vice-Chancellor
	(4) Deans of Schools
	(5) Dean of Students' Welfare
	(6) Finance Officer
	(7) Controller of Examinations
	(8) Proctor
	(9) Librarian
	(10) Registrar - Member Secretary
	Representatives of Schools and Departments
	(11) Four Professors, who are not Deans of Schools, to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation according to their seniority
	(12) Three Heads of the Departments, who are not Deans or Professors, to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation according to their seniority
	(13) Two Associate Professors, who are not Deans/ Heads of the Departments, and two Assistant Professors, to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation according to their seniority
	Representatives of learned personalities
	(14) Six representatives from Vice Chancellors or Eminent personalities to be nominated by the Vice Chancellor
	Persons representing learned professions and special interests
	(15) Six members representing learned professions and special interests including representatives of industry, commerce, banking and agriculture to be nominated by the Visitor
	Other Members
	(16) Such members of the Executive Council, except Visitor's nominees, who are not members of the Court, under any of the above category

	(17) Four representatives of Teaching and Non Teaching staff, one from teaching staff and one each from Group A,B & C, of Non Teaching staff to be elected from amongst themselves
	(18) President and Secretary as elected members of Student's Council, for a period of one year
	(19) Three alumni to be nominated by the Vice-Chancellor
	5 (iii) All members of the Court, other than Ex-Officio members and members representing students, shall hold office for a term of three years

By Order

(Prof. Shailendra Kumar)
Registrar (Acting)

Endt.No. 308/ Academic/2019 Bilaspur, Date 04.11.2019

Copy to:

01. PS/PA to HVC, for information to Hon'ble Vice Chancellor.
02. The Deputy Secretary, CU.I/II, Central University Bureau, Ministry of Human Resource Development, Government of India, Department of Higher Education, Room No. 429, "C" Wing, Shastri Bhawan, New Delhi – 110001, for information.
03. All Deans/HoD's/Officers, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya for information.
04. Coordinator, I.T. Cell, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya for information and uploading on the website.
05. Office Copy

(Prof. Shailendra Kumar)
Registrar (Acting)